

आअदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु


शान्ति देवी

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 142 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
18/11/20	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी शान्ति देवी श्री रामचन्द्र पत्नी खुबेर सिंह जा निवासी देवीपुरा हाल श्रीमान बांस जिला चूरु तहसील राजगढ़ जिला चूरु ने इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 103 ख0नं0 120, 20, 253 कुल गाडारी 13.61 ई0 वाके रोडी कालोडी व ख0नं0 151 गाडारी 3.25 ई0 वाके रोडी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरु तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम शुभाना देवी भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम शान्ति देवी दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 103 ख0नं0 120, 20, 253 कुल गाडारी 13.61 ई0 वाके रोडी कालोडी व ख0नं0 151 गाडारी 3.25 ई0 वाके रोडी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरु तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम शुभाना देवी के स्थान पर सही नाम शान्ति देवी शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।</p>	
	मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	<p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरु) </p>